यह निरीक्षण प्रतिवेदन**प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,रायपुर, देहरादून**के माह 07/2017से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जोश्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक, श्री जितेंद्र सिंहसहायक लेखापरीक्षा अधिकारीएवं श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक 08-09-2020 से 14-09-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज कुमार, लेखापरीक्षक,श्री खुशीराम नौटियाल,वरिष्ठ लेखापरीक्षकव सुश्री रेखा,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.07.2017 से 25.07.2017 तक श्री पुष्कर,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2014 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून**का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून**के अन्तर्गत कला संकाय, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का संचालन कर शिक्षा प्रदान की जा रही है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	241.03	238.22	-	2.80
2018-19	-	258.68	254.17	-	4.50
2019-20	-	414.48	414.02		0.46
2020-21 (08/2020)	-	155.69	152.57		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत(-)
2018-19					
2019-20			**NIL**		
2020-21 (08/2020)					

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकारसे प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचानिम्नवत हैः

प्रमुख सचिव – सचिव - निदेशक - प्राचार्य / संयुक्त निदेशक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में**प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2017 एवं08/2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-2'ब'</u>

प्रस्तर-1:निर्माण कार्यो कि डीपीआर मे रु 15.80 लाख का contingency के रूप मे अनियमित रूप से प्रावधान कर कार्यदायी संस्था को दोहरा भुगतान किया जाना

प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 738/रा0यो0आ0/2011 दिनाक 17 जून 2011 जो विभिन्न तकनीकी विभागो के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष के साथ तकनीकी विषयो पर सम्पन्न कार्यशाला के निष्कर्षो पर कार्यवाही से संबन्धित थी, के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार " विभिन्न विभागो के प्राक्कलन मे पाया गया है कि कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान किया जा रहा है जो एक ही प्रकार के कार्यो कि द्विरावृत्ति है। साथ ही contingency शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्रावधान मे प्रथक से भी किये जाने के मामले प्रकाश मे आये है। contingency का प्राविधान लोक निर्माण विभाग कि दर अनुसूची मे निहित रहता है। अतः तदनुसार ही contingency का प्राविधान प्राक्कलन मे किया जाय तथा contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न किया जाय।"

अभिलेखो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया की कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त दोनों निर्माण कार्यो की डीपीआर बनाते समय DSR 2014 की दरे ली गयी थी। जिसमे 15% CPOH के रूप मे contractor profit एवं overhead का व्यय शामिल था। overhead का व्यय DSR मे शामिल होने के बावजूद डीपीआर मे अलग से contingency का प्रावधान किया गया। जो निम्नवत था-

निर्माण कार्य का नाम	**निर्माण कार्य की लागत**	**Contingency का प्रावधान**	**Contingencyके अंतर्गत किया गया व्यय**
कला संकाय भवन का निर्माण	352.49 लाख	14.10 लाख	14.10 लाख
चार कक्षा कक्ष का निर्माण	42.55 लाख	1.70 लाख	1.70 लाख

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया की आकस्मिक व्यय के मद मे प्राप्त राशि मृदा परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सी0बी0आर0आई0 रुड़की एवं ड्राइंग डिजाइन के मद मे खर्च की गई है। तथा आकस्मिक मद मे सम्पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि कार्यदायी संस्था को डीएसआर 2014 मे ही ठेकेदार का लाभ एवं उपरिव्यय (overhead) दर मे शामिल किया जा चुका था। अतः मृदा परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सी0बी0आर0आई0 रुड़की एवं ड्राइंग डिजाइन के मद मे खर्च उपरिव्यय मे से किया जाना चाहिये था। जो कार्यदायी संस्था द्वारा न करके आकस्मिक व्यय के रूप मे अलग से धनराशि प्राप्त कर व्यय किया गया। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा एक ही कार्य के लिये दोहरा आहरण करके रु 15.80 लाख का अतिरिक्त भुगतान किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तर:-2 महाविध्यालय मे बुनियादी सुविधाओ का अभावपाया जाना।

प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय,रायपुर देहरादून कार्यालय की लेखापरीक्षा में छात्र-छात्राओं के हित में महाविद्यालय में विद्यमान ढांचागत मूल सुविधाओं की जांच की गयी। नमूना जांच मे पाया गया कि ढांचागत मूल सुविधा के अभाव में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा का पूर्ण लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा था। महाविध्यालय के अंतर्गत सत्र 2019-20 मे कुल अध्ययनरत विभिन्न विषयो के 2664विध्यार्थियों के लिए मात्र 1357 पुस्तके ही उपलब्ध थी छात्रो की बढ़ती हुई संख्या के कारण पुस्तकों तथा डिजिटल पुस्तकालय की नितांत आवश्यकता है। विज्ञान संकाय एवं कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों हेतु प्रयोगशालाओ मे उपकरणों तथा आवश्यक सामाग्री की संख्या मे भारी कमी है। महाविध्यालय मे पर्याप्त फर्नीचर की उपलब्धता नहीं है 2664 छात्रों के सापेक्ष मात्र 468 छात्रो के बैठने के लिए ही फर्नीचर उपलब्ध है तथा महाविध्यालय मे गणित विषय के प्रवक्ता का पद भी रिक्त है, जबकि गणित विषय मे सत्र 2019-20 मे 109 छात्र स्नातक मे अध्ययनरत थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाविध्यालय मे बुनियादी सुविधाओ का अभाव है, प्रयोगशाला मे उपकरणो के अभाव मे छात्रों की प्रयोगात्मक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है तथा पुस्तकालय मे पुस्तकों की भारी कमी है, फर्नीचर की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है तथा गणित विषय मे प्रवक्ता का पद रिक्तहोने के कारण छात्रों के शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि महाविध्यालय मे बुनियादी सुविधाओ (प्रयोगशाला उपकरणो एवं फर्नीचर) का अभाव है एवं वर्तमान मे गणित के प्रवक्ता का पद रिक्त है।

इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है अतः महाविध्यालय मे बुनियादी सुविधाओ का अभाव पाये जाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तर:-3 अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.65 लाख की कटौती न किया जाना

अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 214 (1)XXVVIII-3-2020-04/2008.T.C. दिनांक 4/05/2020 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एवं पेशनर्स को S.G.H.S. के तहत सातवे वेतनमान के अनुसार C.G.H.S. (Central Government Health Scheme) दरो पर अंशदान नियमानुसार लिया जाएगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 250/- प्रतिमाह
2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 450/- प्रतिमाह
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 650/- प्रतिमाह
4. वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 1000/- प्रतिमाह

विभागाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तनुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी /आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार की गयी है, एवं कटौतीउपरांत धनराशि राज्यस्वास्थ्य अभिकरण अधिकारी के माध्यम से की गयी है एवंकटौतीउपरांत " राज्यस्वास्थ्य अभिकरण" के खाते मे **E-Transaction** के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जा रही है।

अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय मे किसी भी कार्मिक का योजना के अंतर्गत अंशदान की कोई भी कटौतीनहीं की जा रही है। (विवरणसंलग्न)

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अंशदान की कटौती किस माह से प्रारम्भ की जानी है उसके निर्देश प्राप्त नहीं हुये है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यालय द्वारा शासनादेश के अनुसार अंशदान की कटौती प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए थी।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.65 लाख की कटौती न किये जाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है

क्र.स.	नाम एवं पदनाम	वेतन का लेवल	नियमानुसार की जाने वाली कटौती	कुल माह	कुललंबित कटौती
.1	डा॰ सतपाल सिंह साहनी, प्राचार्य	14	1000	4	4000
.2	प्रो॰ दक्षा जोशी, प्रो॰ अर्थशास्त्र	14	1000	4	4000
.3	डा॰ विजय प्रकाश, एसो॰प्रो॰वाणिज्य	13	1000	4	4000

.4	डा॰ एस.सीनौटियाल ., एसो॰प्रो॰ भौतिक विज्ञान	13	1000	4	4000
.5	डा॰ यतीश प्रसाद, एसो॰प्रो॰ सैन्य विज्ञान	13	1000	4	4000
.6	डा मधु .थपलियाल, एसो॰प्रो॰ जन्तु विज्ञान	13	1000	4	4000
.7	डा॰ आशीष कुशर्मा., एसो॰प्रो॰ रसायन विज्ञान	13	1000	4	4000
.8	डाजी.सी.डंगवाल ., एसो॰प्रो॰ वाणिज्य	13	1000	4	4000
.9	डाप्रमोद कु.कुकरेती ., एसो॰प्रो॰ अंग्रेजी	13	1000	4	4000
.10	डाज्योति खरे ., एसो॰प्रो॰वाणिज्य	13	1000	4	4000
.11	प्रोअरुण कु. अग्रवाल ., प्रो वनस्पति .	14	1000	4	4000
.12	डाअनिता चौहान ., असिप्रो.एतिहास.	11	650	4	2600
.13	डाडिम्पल भट्ट ., असि प्रो.गृह विज्ञान.	10	650	4	2600
.14	डामंजु कोगियाल ., असि प्रो.हिन्दी.	10	650	4	2600
.15	डासरिता तिवारी ., असिप्रो.राजनीति . विज्ञान	10	650	4	2600
.16	डानौटियाल सुनीता ., असिप्रो.शीक्षाशास्त्र.	10	650	4	2600
.17	श्री बलवंत सिंह परमार, मु.प्रा.अधि.	10	650	4	2600
.18	श्री अंशुमन चौहान, कनि.सहा .	03	250	4	1000
.19	श्री कविन्द्र शेखर जोशी,	06	450	4	1800
.20	श्री प्रशांत कुमार, प्रयोगशाला सहा .	04	250	4	1000
.21	कुसोनिया चौहान ., प्रयोगशाला सहा.	04	250	4	1000
.22	श्रीमती ममता राजपूत, सहा.पुस्त .	04	250	4	1000
			कुल योग		**रु 65400**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ'**	**भाग-II'ब'**
39/2017-18	_	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
38/2017-18	भाग 2ब प्रस्तर संख्या 01	लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	डा..अंजु अग्रवाल	प्राचार्या	29.08.15 से 05.09.19
2	डा. दक्षा जोशी	(प्रभारी) प्राचार्या	06.09.19 से 19.11.19
3	डा. सतपाल सिंह साहनी	प्राचार्य	20.11.19 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.1